

राजगिण/उक्षेस/फ-3/यूपी-415/2001/ 978.83/1030

रजिस्टर्ड

दिनांक : 21.05.2001

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, 178, मेन जी0 टी0 रोड, साहिवाबाद-201005, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को समिति कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-3/यूपी-415/बीएड/2000/5994-6001 दिनांक 8.8.2000 के द्वारा बीएड पाठ्यक्रम की 60 सीटों की शर्त मान्यता सत्र 2000-2001 से प्रदान की गई थी। समिति कार्यालय के उक्त आदेश के विश्व संस्था ने परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली में याचिका दाख की थी। परिषद् मुख्यालय ने याचिका पर निर्णय कर संस्था को आदेश दिनांक 1.2.2001 के द्वारा सत्र 2000-2001 के लिए बीएड पाठ्यक्रम की 120 सीटों की मान्यता प्रदान की थी तथा सत्र 2000-2001 के उपांत संस्था को मान्यता हेतु उत्तर क्षेत्रीय समिति को अनुरोध करने के लिए लिखा था। परिषद् मुख्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 1.2.2001 के परिप्रेक्ष्य में संस्था के प्रकरण पर उत्तर क्षेत्रीय समिति की 33 वीं बैठक में विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि सत्र 2001-2002 के लिए 120 सीटों की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का मूल्यांकन करा लिया जाए तदुपरांत ही प्रकरण को समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

समिति के निर्णयानुसार संस्था का दिनांक 23.4.2001 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था के प्रकरण पर उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को समाप्त हुई 34 वीं बैठक में विचार किया गया। समिति ने प्रकरण पर महदाई से विचार कर निर्णय लिया कि संस्था में 60 सीटों के लिए ही परिषद् मानदंडों की पूर्ति नहीं होती है अतः अतिरिक्त 60 सीटों की मान्यता सत्र 2001-2002 से अस्वीकार कर दी जाए।

समिति के निर्णयानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, 178, मेन जी0 टी0 रोड, साहिवाबाद-201005, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त 60 सीटों की मान्यता सत्र 2001-2002 से अस्वीकार की जाती है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अभिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में बीएड पाठ्यक्रम में समिति कार्यालय के आदेश दिनांक 8.8.2000 द्वारा स्वीकृत सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश नहीं करें यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनको बीएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करती है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के तहत इन छात्रों को प्रथम बीएड की उपाधि केन्द्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी। यदि संस्था चाहे तो इस आदेश के निरिद्ध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की

C:\My Documents\ORDER RET/UEB.doc/Suhbhash Bansal

3

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004

कार्यालय : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Phone फोन : 0141-623501

Fax फैक्स : 91-141-620116

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Himachal Pradesh

E-Mail : ncte@raj.nic.in

Website : http://www.ncte.org

धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकती है अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद अलग से शीघ्र जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

(आर० डी० मीना)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति—

प्रबन्धक

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. कुल सचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली- 110016
5. प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, 178, मैन जी० टी० रोड, साहिबवादा-201005, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
6. कम्प्यूटर सेल, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर।

क्षेत्रीय निदेशक